रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275679
SG-DL-E-22082026-275679

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 172

No. 239] DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948 [N. C. T. D. No. 172

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

फा0 सं0 11/04/पार्ट फा0/गृह–डीओपी/2026/718–731.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 16.12.2025 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर मकोका अधिनियम की धारा 3/4 एवं 25 सशस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ट, नई दिल्ली में एफआईआर सं0 77/2018 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के साथ–साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'विशेष लोक अभियोजक' के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1	उपस्थिति शुल्क (प्रति प्रभावी सुनवाई)	40,000/–रुपये
2	उपस्थिति शुल्क (प्रति गैर प्रभावी सुनवाई)	20,000/–रुपये

3	एसोसिएट / जुनियर के लिए उपस्थिति शुल्क (समृद्धि डोभाल पंजीकरण संख्या 6472 / 2020)	10,000 / —रुपये
4	सम्मेलन / परामर्श शुल्क (प्रति सम्मेलन)	20,000 / —रुपये
5	याचिका, आपराधिक पुनरीक्षण, अपील आदि का प्रारूपण	1,00,000 / —रुपये
6	प्रति आवेदन प्रारूपण शुल्क	25,000 / —रुपये
7	आवेदन के उत्तर आदि का प्रारूपण	25,000 / —रुपये
8	लिपिकिय	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
एल0के0 गौतम, उप—सचिव (गृह—डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2026

F. No. 11/04/partfile/H-DOP/2026/718-731.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court, as well before the Hon'ble High Court of Delhi and Hon'ble Supreme Court of India, in the matter of case FIR No. 77/2018, U/s 3/4 MCOC Act & 25 Arms Act, PS-Special Cell, New Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 16.12.2025:-

S. No.	Detail of work	Proposed Fee
1	Appearance fee (per effective hearing)	Rs. 40,000/-
2	Appearance fee (per non-effective hearing)	Rs. 20,000/-
3	Appearance fee for associate/junior (Samridhi Dobhal Enrol. No. 6472/2020.	Rs. 10,000/-
4	Conference/consultation fee (per conference)	Rs. 20,000/-
5	Drafting Petition, Criminal Revision, Appeal, etc.	Rs. 1,00,000/-
6	Drafting fee per application	Rs. 25,000/-
7	Drafting reply to application, etc	Rs. 25,000/-
8	Clerkage	10% of the total bill amount

This issues with the approval of Hon’ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in The Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
L.K.GAUTAM, Dy. Secy. (Home-DOP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA